UPSR010004102026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-148/2026

1–**मुकद्दर अली** आयु 45 वर्ष पुत्र बरसाती

2–मुस्लिम आयु 32 वर्ष पुत्र बरसाती

3–फजल उर्फ फजलू आयु 37 वर्ष पुत्र बरसाती

निवासीगण–ग्राम–दर्जीपुरवा, दा0–तिलकपुर, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

मु0 नं0–5512/2025

अ0सं0–97/2024
धारा–323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0
थाना–गिलौला, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 11.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण/अभियुक्तगण **मुकद्दर अली, मुस्लिम** एवं **फजल उर्फ फजलू** की ओर से मु0 नं0 5512/2025, अपराध संख्या 97/2024, धारा , 323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0, थाना गिलौला, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी अजीज अली पुत्र झब्बर ने दिनांक 26.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को इस आशय की तहरीर दिया कि आज दिनांक 26.05.2024 को समय सबेरे 7.30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी मुकद्दर पुत्र बरसाती व शकील पुत्र मुकद्दर व मुसलिम पुत्र बरसाती व फजल पुत्र बरसाती लाठी डण्डा लेकर रास्ते में आये, गंदी–गंदी गाली देने लगे। मना करने पर मारा पीटा। उसे भी मारे पीटे, चोटें आयी हैं। उसने शोर मचाया तमाम लोग आने लगे। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। सूचना को आया है। आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं एक अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में पंजीकृत हुई।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.11 14:39:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का कथानक बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है। कथित घटना के चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है एवं गलत तरीके से धारा 308 आई0पी0सी0 में आरोपित किया गया है। थाना गिलौला की पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त सं0 1 मुकद्दर अली की पत्नी किताबुलनिशा द्वारा दिनांक 26.05.2024 को दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 98/2024 धारा 323, 504, 506 आई0पी0सी0 में कोई कार्यवाही नहीं किया गया तथा अपराध संख्या 97/2024 में एकतरफा कार्यवाही कर दिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्तगणों ने कोई असहयोग नहीं किया है। दौरान विवेचना अभियुक्तगणों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्तगण शातिर किस्म के दबंग एवं आपराधिक प्रवृत्ति एवं ऊंची पहुॅच वाले व्यक्ति हैं तथा विचारण में सहयोग नहीं करेंगे। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई व भतीजे को मृत्यु कारित करने की नियत से प्राणघातक चोटें पहुॅचाई गयी हैं। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगों को प्राणघातक चोटें पहुॅचाई गयी हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

7– मुकदमा संख्या 5512/2025 राज्य प्रति मुकद्दर एवं अन्य, अपराध संख्या 97/2024, धारा 323, 504, 506, 308 भा0ंद0सं0, थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती की पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 308 भा0ंद0सं0 में प्रेषित किया गया है। विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण का दौरान विवेचना बयान अंकित किया गया था परन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से भी वादी मुकदमा एवं अन्य के विरूद्ध क्रास केस पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इनवेस्टीगेशन एवं अन्य (2022) 10 एस सी सी 51** के आलोक में तथा मामले के गुण दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण मुकद्दर अली, मुस्लिम एवं फजल उर्फ फजलू का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **मुकद्दर अली, मुस्लिम** एवं **फजल उर्फ फजलू** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा बीस–बीस हजार की दो–दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 11.03.2026